बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः- 19369 पटना, दिनांकः- 23/07/2014

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(लक्ष्य निर्धारण)-102-06/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए इंदिरा आवास के भौतिक लक्ष्य की शत् प्रतिशत उपलब्धि हेतु कालबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए इंदिरा आवास का भौतिक लक्ष्य विभागीय पत्रांक-192574 दिनांक-17.07.14 के द्वारा संसूचित किया जा चुका है । उक्त लक्ष्य के आधार पर जिलों में योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किश्त की निधि की विमुक्ति की जायेगी तथा निधि का ससमय उपयोग कर लेने के पश्चात ही द्वितीय किश्त निधि की विमुक्ति का प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकेगा । इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ पात्र परिवारों को पूरी पारदर्शिता के साथ पहुँचाकर आवास की समस्या के समाधान करने के उद्देश्य से विभागीय पत्र संख्या-187102 दिनांक-03.06.14 द्वारा लाभार्थियों का चयन एवं सामाजिक अंकेक्षण दिनांक 30.06.14 तक कराने के साथ-साथ लाभुकों की सूची को computerise कराने एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के चयन सूची की तैयारी भी कर लेने का निदेश दिया गया था । किन्तु उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय बैठक में कतिपय जिलों के उप विकास आयुक्तों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का कार्य दिनांक 15.07.14 तक कर लेने का आश्वासन दिया गया । चूँकि लक्ष्य का निर्धारण हो चुका है और शीघ्र ही निधि की विमुक्ति होनी है अतएव शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु विभाग के द्वारा निम्न रूप से कालबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है :-

(1) **सामाजिक अंकेक्षण (दिनांक 15.07.14 तक)** :- एतदर्थ निर्गत विभागीय पत्र संख्या-187102 दिनांक-03.06.14 के आलोक में जिलों के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया होगा ।

(2) **चयन सूची को अंतिम रूप देना (दिनांक 30.07.14 तक)** :- पूर्व के वर्षों में लक्ष्य का डेढ़ गुणा लाभुकों का चयन करने का निदेश दिया गया था किन्तु चूँकि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभुकों का चयन, सामाजिक अंकेक्षण के पश्चात किया जा रहा है अतएव लक्ष्य के अनुरूप ही लाभुक का चयन किया जायेगा ।

(3) **सूची को आवास सॉफ्ट पर अपलोड करना (दिनांक 07.08.14 तक)** :- लक्ष्य के अनुरूप चयनित लाभुकों को आवास आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर आवास सॉफ्ट पर कोटिवार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं सामान्य) अपलोड किया जायेगा । इसमें ध्यान रखा जायेगा कि भारत सरकार की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया गया है ।

(4) **<u>लाभुकों को आवास आवंटन की स्वीकृति की सूचना देना (दिनांक 15.08.14 तक)</u>** :- लाभुकों को इंदिरा आवास आवंटन की स्वीकृति की सूचना, जिसमें शपथ-पत्र, फोटोग्राफी एवं बैंक खाता खोलने हेतु तिथि भी अंकित हो, स्थानीय चौकीदार एवं ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से तामिल कराया जायेगा एवं इसकी पावती अभिलेख में संधारित की जायेगी ।

(5) **<u>शपथ पत्र, फोटोग्राफी एवं बैंक खाता खोलने संबंधी कार्य (दिनांक 15.09.14 तक)</u>** :- लाभुकों का बैंक खाता खोलने के लिए बैंक शाखाओं के साथ समन्वय कर खाता खुलवाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं शपथ-पत्र एवं फोटोग्राफी की भी व्यवस्था की जायेगी । आवश्यकतानुसार इसके लिए पंचायतवार शिविर भी लगाया जा सकता है ।

(6) **<u>लाभुकों के बैंक खाता का विवरण आवास सॉफ्ट पर अपलोड करना (दिनांक 22.09.14 तक)</u>**:- लाभुक के बैंक खाता का विवरण IFSC Code सहित हर हाल में दिनांक 22.09.14 तक आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जायेगा ताकि लाभुक को सहायता राशि के हस्तांतरण एवं भुगतान आदि की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो । बैंक खाता का विवरण अपलोड करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाय क्योंकि इस बार लाभुकों को राशि का भुगतान System Generated Advice के आधार पर ही किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में हस्तलिखित Advice का उपयोग नहीं किया जायेगा । राशि का अंतरण NEFT/RTGS के माध्यम से किया जायेगा ।

(7) <u>Freezing of Bank A/C on Awas Soft **(दिनांक 25.09.14 को)**</u> :- लाभुक के बैंक खाता का विवरण IFSC Code सहित को अपलोड करने का कार्य दिनांक 25.09.14 को Freeze कर दिया जायेगा । इस तिथि के बाद लाभुक के बैंक खाता को आवास सॉफ्ट पर अपडेट नहीं किया जा सकेगा ।

(8) **<u>लाभुकों के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से सहायता राशि का हस्तांतरण (दिनांक 02.10.14 को)</u>** :- वर्ष 2014-15 के लक्ष्य के अनुरूप सभी लाभुकों को प्रथम किस्त की देय सहायता राशि का हस्तांतरण RTGS/NEFT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में दिनांक 02.10.14 को सुनिश्चित किया जायेगा ।

यहाँ उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त चरणबद्ध एवं कालबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2014-15 के लिए शत प्रतिशत भौतिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है । इस तिथि के पश्चात लाभुकों को आवासों की स्वीकृति हेतु कोई अन्य कार्यक्रम निर्धारित नहीं किये जायेंगे । अतएव अपने अधीनस्थ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय कि उपर वर्णित कार्यक्रमों के तहत शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त नहीं करने वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जायेगी तथा संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा ।

उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला पदाधिकारी लगातार प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से संपर्क बनाकर प्रत्येक चरण में की गयी कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा संलग्न विहित प्रपत्र में चरणवार एवं प्रखण्डवार प्रतिवेदन विभाग को प्रत्येक शुक्रवार को 3.00 बजे अपराह्न तक ई-मेल के माध्यम से MS Excel Sheet में उपलब्ध करायेंगे ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

~~(एस0 एम0 राजू)~~

सरकार के ~~सचिव~~ 1/7/14

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1081.doc

ज्ञापांकः- 19 37 69 पटना, दिनांकः- 23/04/2014

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव
23/4/14

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1081.doc

प्रपत्र

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु कालबद्ध प्रक्रिया के संबंध में प्रतिवेदन

प्रतिवेदन की तिथिः-

जिला का नामः-

क्रम सं0	प्रखंड का नाम	प्रखंड का भौतिक लक्ष्य	प्रखंड में पंचायतों की संख्या	कितने पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण कराया गया	कितने पंचायतों में लाभुकों के चयन सूची को अंतिम रुप दिया गया	कितने लाभुकों को आवास-सॉफ्ट पर स्वीकृति अपलोड किया गया	कितने लाभुकों का बैंक खाता खोला गया	कितने लाभुकों का बैंक खाता को आवास-सॉफ्ट पर अपलोड किया गया	कितने लाभुकों का ऑर्डर-शीट जेनरेट किया गया	कितने लाभुकों के बैंक खाता में राशि अंतरित की गई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल											